

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025—माघ 25, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनायें

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम महेन्द्र पाल था जिसे बदलकर मैंने अपना नाम महेन्द्र सिंह पिता रूप सिंह कर लिया है। अतः अब वर्तमान भविष्य में मुझे महेन्द्र सिंह पिता रूप सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

पुराना नाम
(महेन्द्र पाल)
(G-532)

नया नाम
(महेन्द्र सिंह)
पता—म.नं. 89, गली नं. 2,
ग्राम—पचावता, तहसील मो. बडोदिया,
जिला शाजापुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कु. युक्ता पमार (KU. YUKTA PAMAR) पुत्री प्रमोद कुमार पमार माता जी नाम श्रीमती कृष्णा पमार मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों की सूची में प्रमोद सिंह पमार हो गया है। जबकि सभी दस्तावेजों में प्रमोद कुमार पमार है। अतः प्रकाशन उपरांत प्रमोद कुमार पमार के नाम से जाना—पहचाना जाए।

प्रार्थी
(प्रमोद कुमार पमार)
(PRAMOD KUMAR PAMAR)
पता— वार्ड 25, अम्बेडकर कॉलोनी,
(G-533) जिला शिवपुरी (म.प्र.).

प्रार्थी
(प्रमोद कुमार पमार)
(PRAMOD KUMAR PAMAR)
पता— वार्ड 25, अम्बेडकर कॉलोनी,
जिला शिवपुरी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रश्मि आदिवासी पत्नी श्री आशाराम आदिवासी है। मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों के साथ मुझे इसी नाम से पहचाना जाता है। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश रश्मि आदिवासी के स्थान पर रश्मि सहरिया दर्ज हो गया है, प्रकाशन उपरांत मुझे रश्मि आदिवासी लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

प्रार्थीनी

(रश्मि आदिवासी)

पत्नी—श्री आशाराम आदिवासी
पता— मातापुरा कैंट, जिला गुना (म.प्र.).

(G-534)

नाम परिवर्तन

I, ANVIKA SINGH (अन्विका सिंह) D/o MR. ABHAY SINGH Resident of H.No. 11 Ashiyana Aangan Bawadiyakalan Near Shahpura Thana, Bhopal (M.P.). hereby declare that my previous name was ANVIKA SINGH TOMAR (अन्विका सिंह तोमर) D/o ABHAY SINGH have changed my name and shall hereafter be known ANVIKA SINGH (अन्विका सिंह) D/o ABHAY SINGH.

आवेदिका

(अन्विका सिंह)

(ANVIKA SINGH).

(G-535)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हूँ कि मैं, श्रीमती तसनीम पति मुर्तुजा निवासी—38 बोहरा बाखल, रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुमारी शबाना पिता सेफुद्दिनजी ठाकर जाति बोहरा था। मेरा विवाह होने पर मेरा नाम तसनीम पति मुर्तुजा कर लिया है मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण—पत्र में शबाना तथा मेरे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पहचान—पत्र में तसनीम है मैं, शबाना तथा श्रीमती तसनीम एक ही महिला हूँ मेरे शासकीय दस्तावेजों पर श्रीमती शबाना अंकित हो वहा श्रीमती तसनीम पति मुर्तुजा माना जावे व अंकित किया जावे। भविष्य में श्रीमती तसनीम पति मुर्तुजा के नाम से जानी व पहचानी जाऊँगी।

पुराना नाम

नया नाम

(कुमारी शबाना)

(तसनीम)

पिता—सेफुद्दिनजी ठाकर

पति— मुर्तुजा

निवासी—38 बोहरा बाखल, रतलाम.

(G-536)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश आ. तुलाराम आयु व्यस्क मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम तुलसा त्रुटिवश अंकित हो गया है, मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र एवं अंकसूची में मेरी पुत्री का नाम परी पुत्री दिनेश अंकित है जो सही है। अतः भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों मेरी मेरी पुत्री का नाम परी के नाम से जाना व पहचाना जावे।

प्रार्थी

(दिनेश कुमार)

पता—ग्राम निटरी, तह. व जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-537)

नाम परिवर्तन

I, SANDEEP K SOGANI (संदीप के. सोगानी) S/o Lt. Babulal Sogani, aged 62 Years, R/o 40, Sogani Bhawan, Jain Mandir Road, Chowk, Bhopal (M.P.) have decided to change my name to SANDEEP SOGANI (संदीप सोगानी) from today. That I shall be known by the name of SANDEEP SOGANI (संदीप सोगानी) from now on for all purposes.

पुराना नाम
(SANDEEP K SOGANI)
 संदीप के. सोगानी

(G-538)

नया नाम
(SANDEEP SOGANI)
 संदीप सोगानी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पूर्व पति श्री आकाश राय से विवाह विच्छेद के बाद श्री रोहित चौरसिया से पुनर्विवाह होने के कारण मेरा नाम श्रीमती पूजा राज से श्रीमती पूजा चौरसिया के रूप में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप मेरी पुत्री कु. अंजली राय का नाम भी कु. अंजली राय के स्थान पर कु. अंजली चौरसिया हो गया है, किन्तु उसकी शैक्षणिक अंकसूचियों और मेरे पूर्व विवाह की अवधि के समस्त दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम कु. अंजली राय अंकित होने से वर्तमान प्रचलित नाम कु. अंजली चौरसिया करती हूं और अपनी अवयस्क पुत्री की मैं माता एवं नैसर्गिंग संरक्षिका होने से मैं समस्त शासकीय, अशासकीय कार्य के पत्राचार एवं सम्बोधन में मेरी पुत्री का नाम कु. अंजली चौरसिया पढ़ा—लिखा समझा एवं संबोधित किया जावे.

पुराना नाम
(अंजली राय)

(G-539)

नया नाम
(अंजली चौरसिया)
 पुत्री—आकाश राय
 द्वारा माता एवं नैसर्गिंग संरक्षिका
 श्रीमती पूजा चौरसिया
 पत्नी—श्री रोहित चौरसिया
 निवासी—एल.आई.जी. 71,
 कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश कुमार उरेती (MUKESH KUMARURETI) पिता स्व. श्री रज्जू लाल उरेता (LATE SHRI RAJJU LALURETI) निवासी—म.नं. 586 भट्टा मोहल्ला खमरिया, पिपरियाय, जिला जबलपुर (म.प्र.), मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम मुकेश कुमार (MUKESH KUMAR) दर्ज है. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व गोटर आई.डी. में मेरा नाम मुकेश कुमार उरेती (MUKESH KUMARURETI) दर्ज है जो कि सही है. मुकेश कुमार (MUKESH KUMAR) एवं मुकेश कुमार उरेती (MUKESH KUMARURETI) यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति यानी मेरे हैं. मेरे शासकीय अभिलेखों में सही नाम मुकेश कुमार उरेती (MUKESH KUMARURETI) पिता स्व. श्री रज्जू लाल उरेती के नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मुकेश कुमार)
 MUKESH KUMAR
 (G-540)

नया नाम
(मुकेश कुमार उरेती)
 MUKESH KUMARURETI.

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में पिताजी का नाम गोपीचंद फुलसुंघे लिखा है। प्रकाशन उपरांत मुझे प्रवेश फुलोके पिता गोपीचंद फुलोके के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (प्रवेश फुलसुंघे)	नया नाम (प्रवेश फुलोके) पिता— गोपीचंद फुलोके
---------------------------------	--

(G-541)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सियाराम बारेला (Siyaram Barela) पिता श्री गुला बारेला, आयु व्यस्क, निवासी—ए 21, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.). वर्तमान में मेरा नाम सियाराम बारेला (Siyaram Barela) है जो कि मैं, मेरे शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं, अपने शासकीय रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजों में अपना नाम परिवर्तित कर सियाराम बारेला (Siyaram Barela) के स्थान पर सियाराम मौर्य (Siyaram Maurya) दर्ज करवाना चाहता हूँ। प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे नये नाम सियाराम मौर्य (Siyaram Maurya) के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जावे।

आवेदक (सियाराम मौर्य) (Siyaram Maurya)	(G-542)
--	---------

नाम परिवर्तन

मैं, सुगन बाई विश्वकर्मा पत्नी श्री जगदीश विश्वकर्मा, निवासी—म.नं. 10, संत नगर, अशोका गार्डन भोपाल (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुमन है जो कि गलत है। जबकि परिचय—पत्र में मेरा नाम सुगन बाई विश्वकर्मा है जो कि सही है। दोनों नाम एक ही महिला के हैं। अतः भविष्य में मेरा नाम सुगन बाई विश्वकर्मा सभी सरकारी एवं गैर—सरकारी दस्तावेजों में इन्हीं नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

आवेदिका (सुगन बाई विश्वकर्मा)	(G-543)
----------------------------------	---------

नाम परिवर्तन

मैं, दशरिया वास्कले (Dashariya Waskale) आत्मज श्री मना वास्कले, निवासी—ग्राम राक्सला, तहसील सोणडवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.). मेरा नाम दशरिया वास्कले (Dashariya Waskale) है, जो कि मेरे शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं, अपना नाम दशरिया वास्कले (Dashariya Waskale) से बदलकर दशरथ वास्कले (Dashrath Waskale) करना चाहता हूँ। प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे मेरे नये नाम दशरथ वास्कले (Dashrath Waskale) के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जावे।

पुराना नाम (दशरिया वास्कले)	नया नाम (दशरथ वास्कले) पता—ग्राम राक्सला, तहसील सोणडवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.). वर्तमान पता—7/5, डी.आर.पी. लाइन, जिला धार (म.प्र.).
--------------------------------	---

(G-544)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्रष्टीराज पिता गोविंद सिंह था. जो परिवर्तित होकर ऋषीराज राठोड़ पिता गोविंद सिंह हो गया है. अतः अब, मुझे ऋषीराज राठोड़ पिता गोविंद सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी
(ऋषीराज राठोड़)
पिता— गोविंद सिंह
निवासी—ग्राम खरसी, तह. सोनकच्छ,
जिला देवास (म.प्र.).

(G-545)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में पिताजी का नाम जीवनलाल धनंजय लिखा है. प्रकाशन उपरांत मुझे रामलाल धनिया पिता जीवनलाल धनिया के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (रामलाल धनंजय)	नया नाम (रामलाल धनिया) पिता—जीवनलाल धनिया.
------------------------------	--

(G-546)

आम सूचना

मेसर्स M/s RICHMORE INFRASTRUCTURE फर्म के भागीदार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थायें भोपाल में पंजीयन क्र.-01-01-01-0170-21 दिनांक 22-8-2021 है. दिनांक 2-1-2025 को भागीदारी विलेख निष्पादित किया गया जिसमें भागीदार 1. ANUPAMA SHIPRA MINZ W/o NITESH KUMAR SNEHI का स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये, उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हैं. अतः सर्वसाधारण को सूचित हों।

For - M/s RICHMORE INFRASTRUCTURE
(JUZER ADAMALI DHORAJIWALA)
Partner.

(G-547)

Add.- 3rd Floor, H No.- 62A, Kilol Park,
Ward No. 24, Behind Petrol Pump, Bhopal (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, रमा पाठक पति श्री संदीप कुमार पाठक, निवासी—न्यू कंचनपुर, ऋषि पार्षद कार्यालय के पास, निर्मल चंद्र जैन वार्ड, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.). मेरा नाम दसवीं की मार्कशीट एमपी बोर्ड के अनुसार रमा कुमारी दुबे एवं बारहवीं की मार्कशीट में रमा दुबे है, मेरी शादी श्री संदीप कुमार पाठक जी के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुई थी जिसके बाद मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रमा पाठक नाम लिखवाया गया. अब मैं अपना नाम रमा पाठक श्री संदीप कुमार पाठक लिखवाना चाहती हूँ. प्रकाशन उपरांत इसी नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

(G-548)

पुराना नाम (रमा दुबे)	नया नाम (रमा पाठक) पति—श्री संदीप कुमार पाठक
--------------------------	--

नाम परिवर्तन

मैं, रामचंद्र चंद्रवंशी पुत्र श्री गुरुबगस, निवासी—म.नं. 787, रनायल, शाजापुर, (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश निकिल खाती नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षिक दस्तावेजों पर अतुल चंद्रवंशी (ATUL CHANDRAVANSHI) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अद्वैतशासकीय दस्तावेजों में सही नाम अतुल चंद्रवंशी (ATUL CHANDRAVANSHI) पुत्र श्री रामचंद्र चंद्रवंशी से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (निकिल खाती)	नया नाम (अतुल चंद्रवंशी) (ATUL CHANDRAVANSHI)
(G-549)	पुत्र—श्री रामचंद्र चंद्रवंशी.

नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. विजय लक्ष्मी पत्नी डॉ. गिरीश कुमार वर्मा निवासी—म.न. 291, 9—बी, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.). यह कि पूर्व में मेरा नाम विजय लक्ष्मी पत्नी डॉ. गिरीश कुमार वर्मा था जो कि अब विजय लक्ष्मी वर्मा पत्नी डॉ. गिरीश कुमार वर्मा हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम डॉ. विजय लक्ष्मी वर्मा पत्नी डॉ. गिरीश कुमार वर्मा के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (डॉ. विजय लक्ष्मी)	नया नाम (डॉ. विजय लक्ष्मी वर्मा)
(G-550)	पत्नी—डॉ. गिरीश कुमार वर्मा.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती वर्षा कोटवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम संगीता मूलचंदानी पुत्री मोहन लाल मूलचंदानी (भटेजा) था. मेरा विवाह हिन्दू रिती—रिवाज से श्री जवाहर कोटवानी के साथ हो गया है. शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती वर्षा कोटवानी पत्नी श्री जवाहर कोटवानी हो गया है. तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जायें एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जावे.

पुराना नाम (संगीता मूलचंदानी)	नया नाम (वर्षा कोटवानी)
(G-551)	निवासी—प्लाट नं. 41, ग्लोबस फैब सिटी, चूना भट्टी, कोलार रोड, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मुन्नी बाई (Smt. Munni Bai) पत्नी श्री राजेश कुमार सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पहचान—पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती मुन्नी बाई है एवं मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम श्रीमती प्रभा बाई (Smt. Prbha Bai) दर्ज हैं, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं अतः प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती मुन्नी बाई के नाम से पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (प्रभा बाई)	नया नाम (मुन्नी बाई)
(G-552)	निवासी—92, पलकाश्री, मनकापुर, बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

शादी से पूर्व मेरा नाम कांता पुत्री हुंदराज था शादी के बाद मेरा नाम सुषमा बजाज पत्नी रमेश चंद्र बजाज हो गया है। दोनों नाम मुझे एक ही व्यक्ति के हैं। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (कांता) पुत्री—हुंदराज (G-553)	नया नाम (सुषमा बजाज) पत्नी—रमेश चंद्र बजाज पता— 5 सिंध बिहार, नदी गेट, ज्येन्द्रगंज जिला ग्वालियर (म.प्र.)。
--	---

नाम परिवर्तन

मैं, दुलीचन्द मेवाड़ा आत्मज श्री चैन सिंह मैवाड़ा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे प्रपत्र जैसे पहचान—पत्र, पूर्व के आधार कार्ड, इत्यादि में मेरा नाम दुलीचन्द मेवाड़ा अंकित है एवं मेरे वर्तमान के आधार कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाण—पत्र, समग्र आईडी, में मेरा नाम दिलीप सिंह मैवाड़ा दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं एवं भविष्य में मुझे दुलीचन्द मेवाड़ा के नाम से पहचाना एवं पुकारा जावे।

पुराना नाम (दिलीप सिंह मैवाड़ा) (G-554)	नया नाम (दुलीचन्द मेवाड़ा) पता— म.नं. 172, वार्ड नं. 9, तह. कालापीपल भरदी, भुरिया खजुरिया, जिला शाजापुर (म.प्र.)。
---	--

नाम परिवर्तन

मैं, रवि बहादुर पुत्र श्री प्रेम बहादुर, निवासी—म.नं. 47, स्वास्तिक कॉलोनी, मैंडोरी रोड, नीलबड़, भोपाल, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश रवि पुन नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर रवि बहादुर (RAVI BAHADUR) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम रवि बहादुर (RAVI BAHADUR) पुत्र श्री प्रेम बहादुर से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (रवि पुन) (G-555)	नया नाम (रवि बहादुर) (RAVI BAHADUR) पुत्र— श्री प्रेम बहादुर।
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, शारदा प्रसाद कोरी आत्मज स्व. मूल चंद (Sarda Prasad Kori S/o Late Mool Chand), निवासी—रेल्वे वाटर टेंक के पास, चौधरी मुहल्ला, आदर्श नगर, शंकर शाह वार्ड, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित कर रहा हूँ कि आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम शारदा (Sharda) दर्ज है जोकि गलत है जबकि हिन्दी में मेरा नाम शारदा प्रसाद कोरी एवं अंग्रेजी में मेरा नाम (Sarda Prasad Kori) है जोकि सही है जो मेरे सर्विस रिकार्ड एवं मेरे जन्म प्रमाण—पत्र में दर्ज है। प्रकाशन के उपरांत मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम हिन्दी में शारदा प्रसाद कोरी एवं अंग्रेजी में Sarda Prasad Kori दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (शारदा) (Sharda) (G-556)	नया नाम (शारदा प्रसाद कोरी) (Sarda Prasad Kori)।
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, शाहीना खान पत्नी सरफराज अहमद (Shaheena Khan W/o Sarfraz Ahmed) निवासी 28, राजुल टाऊनशिप फेस-2, तिलहरी, बिलहरी, जबलपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित कर रही हूँ कि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम शाहीना बानो (Shaheena Bano) एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम Shahina Bano दर्ज है जो कि मेरे पुराने नाम हैं। मेरा सही नाम शाहीना खान (Shaheena Khan) है जो मेरे सर्विस रिकार्ड तथा स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र में दर्ज हैं। अतः प्रकाशन उपरांत समस्त शैक्षणिक, शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम शाहीना खान (Shaheena Khan) दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(शाहीना बानो)	(शाहीना खान)
(Shaheena Bano, Shahina Bano)	(Shaheena Khan)
(G-557)	

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गौरव इन्टरप्राइजेज, जो 23, बी मुरार इन्क्लेव, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-00108-11 दिनांक 19-7-2011 है जिसमें दिनांक 31-1-2025 को भागीदार श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री अतर सिंह निवासी गांव रुर, पोस्ट उमरी जिला भिण्ड म.प्र. अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गये हैं। एवं इसी दिनांक 31-1-2025 को श्रीमती सरिता जैन पत्नि श्री संजय जैन निवासी महावीर चौक भिण्ड (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदारी के रूप में समिलित हो गयी हैं।

मैसर्स गौरव इन्टरप्राइजेज (सत्यवीर सिंह) भागीदार।	
(G-558)	

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सोहम एकिजम जिसका पंजी. क्र. 01-01-01-00040-14 एवं दिनांक 28-4-2014 जो ई डी-199 स्कीम नं. 94 ईस्टर्न रिंग रोड, इन्दौर, म.प्र. में स्थित है जिसमें दिनांक 22-12-2024 को भागीदार श्री दिलीप सुराणा पुत्र श्री लक्ष्मीलाल सुराणा निवासी—बी 203 गुलमार्ग प्राइड, अपोजिट कनाडिया रोड, इन्दौर अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गए हैं। एवं इसी दिनांक 22-12-2024 को निर्मला सिंह पत्नी प्रवीण सिंह निवासी—ब्लॉक कालोनी, शास. क्वार्टर, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड, सिवनी, (म.प्र.) नवीन भागीदार के रूप में फर्म में समिलित हो गई हैं। एवं दिनांक 27-12-2024 को भागीदार श्री हर्षवर्धन धाकड़ पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह धाकड़ निवासी—164, टेलीफोन नगर इन्दौर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गए हैं। एवं इसी दिनांक 27-12-2024 को मनीषा धाकड़ पत्नी श्री हर्षवर्धन धाकड़ निवासी— 164, टेलीफोन नगर इन्दौर (म.प्र.) नवीन भागीदार के रूप में फर्म में समिलित हो गई हैं एवं इसी दिनांक 27-12-2024 से फर्म का मुख्य कार्यालय ई डी 199 स्कीम नं. 94 ईस्टर्न रिंग रोड, इन्दौर, (म.प्र.) से परिवर्तित कर नवीन कार्यालय 501, प्रिंसेस एम्पाइर रेस कोर्स रोड, इन्दौर, (म.प्र.) हो गया है।

मैसर्स सोहम एकिजम (निर्मला सिंह) भागीदार।	
(G-559)	

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स अंकलेसरिया ऑटोमोबाईल्स जो 2, न्यू रोड दो बत्ती चौराहा, तहसील व जिला रतलाम में स्थित है, जिसका पजीयन क्र. 07-37-01-00052-10 दिनांक 6-10-2010 है. जिसमें दिनांक 31-3-2008 को भागीदार श्री सोहराव पिता श्री तेहमटोन अंकलेसरिया निवासी—गुलिस्तान, डॉ. आर.पी. मार्ग, रतलाम (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये. एवं 22-4-2010 को श्री शेहजाद पिता श्री गुस्ताद अंकलेसरिया निवासी—गुलिस्तान, डॉ. आर.पी. मार्ग रतलाम (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

मैसर्स अंकलेसरिया ऑटोमोबाईल्स

(गुस्ताद अंकलेसरिया)

भागीदार.

(G-560)

नाम परिवर्तन

मैं, राम चरन सिंह (RAM CHARAN SINGH) पुत्र श्री विद्या राम कुशवाह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम राम चरन कुशवाह (RAM CHARAN KUSHWAHA) था जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, राम चरन सिंह पुत्र श्री विद्या राम कुशवाह के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है राम चरन सिंह एवं राम चरन कुशवाह दोनों मेरे ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे राम चरन सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(राम चरन कुशवाह)

(राम चरन सिंह)

पुत्र—श्री विद्या राम कुशवाह

पता— ए 98, अलकापुरी, हबीबगंज, हुजूर,
ह.इ. हॉस्पिटल, भोपाल (म.प्र.).

(G-561)

नाम परिवर्तन

मैं, उषा (USHA) पत्नि श्री नरेन्द्र चौहान सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम कुमारी उषा एवं उषा चौहान (KUMARI USHA AND USHA CHAUHAN) था जो मेरे आधार, कार्ड पैन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, उषा पत्नि श्री नरेन्द्र चौहान के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे पति की सेल्फ डिफेन्स आईडी कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, कुमारी उषा, उषा चौहान एवं उषा तीनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे उषा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(कुमारी उषा एवं उषा चौहान)

(उषा)

पत्नी—श्री नरेन्द्र चौहान,

पता—विजय लक्ष्मी विहार कॉलोनी,

युनिपच फेक्टरी के पीछे,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-562)

Change of Name

This is to inform the general public that I MADHU (मधु) have been ordained as Monk in the spiritual lineage, and in the cordance with Hindu monastic orders, at Manav Utthan Sewa samati and given a new monastic name as APEKSHA BAI JI (अपेक्षा बाई जी) after this publication I should be written called read and mentioned by my monastic name as APEKSHA BAI JI (अपेक्षा बाई जी)

Old Name	New Name
(MADHU)	(APEKSHA BAI JI)
मधु	(अपेक्षा बाई जी)
पता—मानव उत्थान सेवा समिति प्लॉट, क्र.-ई 5, ई 6, निकट आनंद नगर, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).	

(G-563)

नाम परिवर्तन

मैं, दशरथ लाल विश्वकर्मा आत्मज श्री खिलानसिंह विश्वकर्मा सर्व साधारण को सूचित करता हूं कि मेरे सभी शासकीय अर्धशासकीय तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दशरथ लाल विश्वकर्मा अंकित है जो सही है। आधार कार्ड में गोपाल आत्मज श्री हिम्मतसिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है इस प्रकाशन के उपरांत मुझे सभी शासकीय, अर्धशासकीय तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दशरथ लाल विश्वकर्मा लिखा—पढ़ा, जाना—पहचाना और दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(गोपाल)	(दशरथ लाल विश्वकर्मा)
आत्मज—श्री हिम्मतसिंह	आत्मज—श्री खिलानसिंह निवासी—ग्राम पचमा, तह. गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-564)

नाम परिवर्तन

मैं, पुरुषोत्तम दास मोदी (PURSHOTTAM DAS MODI) पुत्र स्व. श्री ईश्वरी प्रसाद मोदी सर्वसाधारण को सूचित करता हूं की मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम पुरुषोत्तम दास मोदी (PURSHOTTAM DAS MODI) पुत्र स्व. श्री ईश्वरी प्रसाद मोदी है जो कि सही है परन्तु मेरे कुछ शेयर्स में PURHSOTTAM DAS तथा कुछ में PURSHOTTAM DAS अंकित है। PURSHOTTAM DAS, PURHSOTTAM DAS एवं PURSHOTTAM DAS MODI एक ही व्यक्ति के नाम हैं। याने की मेरे। इस प्रकाशन के बाद मुझे (PURSHOTTAM DAS MODI) के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जावे।

<p style="text-align: right;">आवेदक</p> <p style="text-align: right;">(PURSHOTTAM DAS MODI)</p> <p style="text-align: right;">पुत्र—स्व. श्री ईश्वरी प्रसाद मोदी पता— प्लैट नं 302, थर्ड प्लॉट श्रीजी अपार्टमेंट, बापू दांडी की गोठ, करतार होटल के पास, रॉकसी पुल, गिर्द, जिला ग्वालियर (म.प्र.).</p>	<p style="text-align: left;">(G-565)</p>
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, शकुन बाई यादव (SHAKUN BAI YADAV) पत्नी श्री हरिभान सिंह यादव सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम शकुन बाई यादव (SHAKUN BAI YADAV) पत्नी श्री हरिभान सिंह यादव है. किंतु मेरे कुछ प्रपत्रों में जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी में मेरा नाम प्रभाकुमारी पत्नी श्री हरिभान सिंह यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है. शकुन बाई यादव और प्रभाकुमारी ये नाम एक ही व्यक्ति के हैं याने कि मेरे इस प्रकाशन के उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/शैक्षणिक अन्य दस्तावेजों में मुझे शकुन बाई यादव (SHAKUN BAI YADAV) के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रभाकुमारी)	(शकुन बाई यादव)
	(SHAKUN BAI YADAV)
	पत्नी—श्री हरिभान सिंह यादव
	पता— ग्राम महुआ, तह. खनियाधाना,
	पिप्रदा उबरे, शिवपुरी (म.प्र.).

(G-566)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश पुष्पाबाई अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक एवं प्रचलित नाम पुष्पलता उपाध्याय हैं (Pushpalata Upadhyay) हैं. अर्थात् मैं अपना नाम पुष्पलता उपाध्याय (Pushpalata Upadhyay) कराना चाहती हूं. प्रकाशन उपरांत मुझे पुष्पलता उपाध्याय के नाम से ही जाना व पहचाना जायेगा.

प्रार्थीनी	पुष्पलता उपाध्याय
(पुष्पलता उपाध्याय)	
पति— श्री बालगोविन्द जी उपाध्याय	
निवासी— श्यामगढ़, तह. श्यामगढ़, लक्ष्मण कॉलोनी,	
गरोठ, जिला— मन्दसौर (म.प्र.).	

(G-567)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, भुरीबाई (Bhuri Bai) पत्नी श्री मंगल सिंह (Mangal Singh) आयु—वयस्क, निवासी—83, वार्ड नं. 07, ग्राम झिरिया झोरा, पढरई ठाकुर, तहसील वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, (नर्मदापुरम) मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मुरिया बाई उइके (Muriya Bai Uikey) अंकित है किंतु मेरी राजस्व अभिलेख में मेरा नाम भूरी बाई (Bhuri Bai) पुत्री श्री हरिसिंह (Hari Singh) अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अब मैं, अपना नाम भूरी बाई (Bhuri Bai) ही रखना चाहती हूं. प्रकाशन उपरांत मुझे भूरी बाई (Bhuri Bai) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुरिया बाई उइके)	(भूरी बाई)
(Muriya Bai Uikey)	(Bhuri Bai).

(G-568)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, श्याम बाई (Shyam Bai) पत्नी स्व. श्री कलीराम ठाकुर (Kaliram Thakur) निवासी—वार्ड नं. 20, पोस्ट व तहसील बनखेड़ी ग्राम चिल्लोद, होशंगाबाद, (नर्मदापुरम) (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रामबाई ठाकुर (Rambai Thakur) पत्नी स्व. श्रीकलीराम ठाकुर (Kaliram Thakur) अंकित है किंतु मेरे राजस्व अभिलेख में मेरा नाम श्याम बाई (Shyam Bai) पुत्री श्री हरिसिंह (Harisingh) अंकित है उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं। अब मैं, अपना नाम श्याम बाई (Shyam Bai) रखना चाहती हूँ, प्रकाशन उपरांत मुझे श्याम बाई (Shyam Bai) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(रामबाई ठाकुर)
(Rambai Thakur)

नया नाम
(श्याम बाई)
(Shyam Bai).

(G-569)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश कुमावत आत्मज श्री शंभू प्रसाद कुम्हार निवासी—ग्राम सलैया खुर्द, 527, पोस्ट खाझा थाना पनवार तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.) मेरा पुराना नाम सुरेश प्रसाद कुम्हार है, जिसे परिवर्तित कर नया नाम सुरेश कुमावत (Suresh Kumavat) कर लिया है, प्रकाशन उपरांत नये नाम सुरेश कुमावत के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहाँ नाम रहेगा।

प्रार्थी
(सुरेश कुमावत)
आत्मज— श्री शंभू प्रसाद कुम्हार.

(G-570)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेश भारती आत्मज श्री मोतीलाल निवासी— ग्राम गडरा, पोस्ट पहाड़ी, थाना शाहपुर, तह. हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.). मेरा पुराना नाम रामनरेश चर्मकार है, जिसे परिवर्तित कर नया नाम नरेश भारती (Naresh Bharti) कर लिया है, प्रकाशन उपरांत नये नाम नरेश भारती के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहाँ नाम रहेगा।

प्रार्थी
(नरेश भारती)
आत्मज— श्री मोतीलाल.

(G-571)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरे कुछ दस्तावेज में मेरा नाम निर्मला एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम निर्मला बाई एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम निर्मला कोष्टा दर्ज है। ये सभी उक्त तीनों नाम मेरे यानी एक ही महिला के नाम हैं एवं कुछ दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम सीताराम दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में पिता का नाम सीताराम कोष्टा दर्ज है ये दोनों नाम मेरे पिता अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं।

प्रार्थीनी
(निर्मला कोष्टा)
पता— 154/2 बधैया मोहल्ला वार्ड नं. 26,
गोविन्द वल्लभपंत वार्ड, जबलपुर (म.प्र.).

(G-572)

उपनाम परिवर्तन

प्रार्थी सांवरलाल शर्मा पिता गोपाल जी शर्मा निवासी-40, लोहार रोड, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी की पुत्री दक्षिता की कक्षा-6 टी की अंकसूची में प्रार्थी सांवरलाल एवं पत्नी सीतादेवी एवं पुत्री दक्षिता का सरनेम तिवारी अंकित है। जो त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में प्रार्थी उसकी पुत्री व पत्नी द्वारा सरनेम शर्मा का उपयोग किया जाता है जो प्रार्थी उसकी पत्नी एवं पुत्री के आधार कार्ड में भी अंकित है एवं भविष्य में प्रार्थी को सांवरलाल शर्मा एवं पत्नी को सीतादेवी शर्मा एवं पुत्री को दक्षिता शर्मा के नाम से जाना पहचाना जावे।

प्रार्थी

(सांवरलाल शर्मा)

पिता— गोपाल जी शर्मा.

(G-573)

उपनाम परिवर्तन

प्रार्थी सांवरलाल शर्मा पिता गोपाल जी शर्मा निवासी-40, लोहार रोड, रतलाम (म.प्र.). का निवासी है एवं प्रार्थी की पुत्री अक्षिता की कक्षा 9वीं की अंकसूची में प्रार्थी सांवरलाल एवं पत्नी सीतादेवी एवं पुत्री अक्षिता का सरनेम तिवारी अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में प्रार्थी, उसकी पुत्री व पत्नी द्वारा सरनेम शर्मा का उपयोग किया जाता है जो प्रार्थी, उसकी पत्नी एवं पुत्री के आधार कार्ड में भी अंकित है एवं भविष्य में प्रार्थी को सांवरलाल शर्मा एवं पत्नी को सीतादेवी शर्मा एवं पुत्री को अक्षिता शर्मा के नाम से जाना पहचाना जावे।

प्रार्थी

(सांवरलाल शर्मा)

पिता— गोपाल जी शर्मा.

(G-574)

नाम परिवर्तन

प्रार्थिया कीर्ति ओसतवाल पति विशाल ओसतवाल निवासी-99 बी, समता परिसर, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थिया का नाम वोटर आई डी में कीर्ति ओसतवाल, स्कूल की अंकसूची में विवाह के पूर्व का नाम कोचेटा किरनबेन लक्ष्मीकान्त अंकित है। प्रार्थिया को उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं। भविष्य में प्रार्थिया को कीर्ति ओसतवाल (KIRTI OSATWAL) पति विशाल ओसतवाल के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थिया

(कीर्ति ओसतवाल)

पति—विशाल ओसतवाल

(G-575)

नाम परिवर्तन

प्रार्थी राजेश शर्मा पिता मोहनलाल शर्मा, निवासी- 173, तेजानगर, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम कुछ शासकीय, अद्वृशासकीय दस्तावेजों में पुरुषोत्तम पिता मोहनलाल शर्मा अंकित है। प्रार्थी को उक्त दोनों नामों से जाना पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति है। भविष्य में प्रार्थी को राजेश शर्मा पिता मोहनलाल शर्मा के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(राजेश शर्मा)

पिता—मोहनलाल शर्मा.

(G-576)

नाम परिवर्तन

प्रार्थी त्रिलोक मनसुखराय झालानी (Trilok Mansukrai Jhalani S/o Mansukrai Jhalani) स्थायी पता—राम भवन, गौशाला रोड, रतलाम, प्रार्थी की पुत्री जुही चंचल खण्डेलवाल पिता श्री त्रिलोक मनसुखराय झालानी का बचपन का नाम जयश्री पिता त्रिलोक कुमार झालानी है और कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है एवं वर्तमान में प्रार्थी की पुत्री जुही चंचल खण्डेलवाल पिता श्री त्रिलोक मनसुखराय झालानी के नाम से जानी—पहचानी जाती है एवं उक्त दोनों नाम प्रार्थी की पुत्री के ही नाम है. भविष्य में प्रार्थी की पुत्री को जुही चंचल खण्डेलवाल पिता श्री त्रिलोक मनसुखराय झालानी के नाम से जाना पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(त्रिलोक मनसुखराय झालानी)

(G-577)

नाम परिवर्तन

प्रार्थिया हिमानी कौशल पत्नी हरीश कौशल, निवासी—मकान क्रमांक बी / 16, विनोबा नगर, रतलाम जिला रतलाम (म.प्र.) की निवासी है. प्रार्थिया ने अपना नाम हिमानी कौशल से बदलकर हिमानी ठाकुर रख लिया है. अब प्रार्थिया को नये नाम हिमानी ठाकुर (Himani Thakur) पति हरीश कौशल के नाम से समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा व पढ़ा जावे.

प्रार्थिया

(हिमानी)

पति—हरीश कौशल

(G-578)

नाम परिवर्तन

प्रार्थी मंगला पिता कानजी, गुजरपाड़ा तंबोलिया, बाजना जिला रतलाम (म.प्र.) का निवासी है एवं प्रार्थी का नाम आधार कार्ड में सुगन गरवाल C/o मंगला गरवाल तथा पेन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र में मंगलिया एवं सेवा—अभिलेख में मंगला पिता कानजी अंकित है. उक्त चारों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में प्रार्थी को मंगला पिता कानजी के नाम से जाना पहचाना जावे.

प्रार्थी

(मंगला)

पिता—कानजी

(G-579)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. अन्तिम पाल था. विवाह बाद मेरा नाम अन्तिम पाल चौहान पत्नी अमर सिंह चौहान हो गया है, तथा आगे मुझे इस नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(अन्तिम पाल)

पिता— भीमला पाल

(G-580)

नया नाम

(अन्तिम पाल चौहान)

पता— ग्राम गोमला, तह. व

जिला झाबुआ (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंतराम आत्मज श्री मुन्नीलाल निवासी-20/1, ग्राम सिरावदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम अंतराम (ANTRAM) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम कमल सिंह (KAMAL SINGH) हो गया है, अब मैं अपने वास्तविक व नये नाम अंतराम (ANTRAM) के नाम से जाना जाऊँगा एवं सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(कमल सिंह)	(अंतराम)
(KAMAL SINGH)	(ANTRAM).

(G-581)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमायरा पुत्री श्री अब्दुल शकूर निवासी- एफ-1, तुषार अपार्टमेंट, फस्ट फ्लोर स्वर्णकुंज कालोनी, कटारा हिल्स, बागमुगालिया, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम अफरोज जहांन के साथ-साथ अमायरा (AMAYRA) भी है, अब मैं अपने पुराने नाम के स्थान पर अपने नये नाम अमायरा (AMAYRA) के नाम से जानी पहचानी जाऊँगी एवं सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(अफरोज जहान)	(अमायरा)
(AFROZ JAHAN)	(AMAYRA).

(G-582)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जिंदल ग्रुप जिसका पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0117-20 वर्ष 2020-2021 दिनांक 10 अगस्त 2020 को पंजीबद्ध है। इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि शब्दीर अहमद पुत्र हाजी सिद्दीकी खान, अभिलाष मीणा पुत्र कमल सिंह मीणा, गोविन्द राजपूत पुत्र श्याम सिंह राजपूत, कालूराम साहू पुत्र गिरधारीलाल साहू को मेसर्स जिंदल ग्रुप, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म में 13-01-2025 से साझेदार के पद से सेवानिवृत्त किया गया है।

मौजूदा साझेदारों का विवरण नीचे दिया गया है:-

1. संजय सक्सेना पुत्र श्री के. सी. सक्सेना उम्र 56 वर्ष निवासी-कोटरा सुल्तानाबाद के पास, सुरुचि नगर, हुजूर, भोपाल.
2. भाव सिंह राजपूत पुत्र श्री एम. सी. राजपूत उम्र 49 वर्ष निवासी-245, नरेला शंकरी, दुर्गा चौक, अयोध्या बाईपास रोड, हुजूर, भोपाल.

सेवानिवृत्त साझेदारों का विवरण:-

1. शब्दीर अहमद पुत्र हाजी सिद्दीकी खान, निवासी-290 अशोक विहार, नगर निगम कॉलोनी, अशोका गार्डन, हुजूर, भोपाल.
2. अभिलाष मीणा पुत्र कमल सिंह मीणा निवासी-विदिशा रोड, चोपड़ा कलां, भोपाल.
3. गोविन्द राजपूत पुत्र श्याम सिंह राजपूत निवासी-151 अ भवानी धाम, फेज 2, वाटर टैंक के पास, अयोध्या नगर,
4. कालूराम साहू पुत्र गिरधारीलाल साहू निवासी-17 सी, छोला रोड, छोला नाका, रिसालदार कॉलोनी, भोपाल.

मेसर्स जिंदल ग्रुप
(BHAV SINGH RAJPUT)
भागीदार.

(G-583)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उमा बाई परते पति स्व. श्री लेखराम परते, निवासी—डुगरिया, वार्ड नं. 13, खैरमाई मंदिर के पास, छपारा, पोस्ट छपारा, उप जिला लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.). मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेज एवं पहचान—पत्रों में विभिन्न तरीके से मेरा नाम “उमा बाई परते”, उमा देवी परते, अम्मा वती जी, उमा जी, उमावती एवं अम्मावती दर्ज है. जो त्रुटिपूर्ण है इन्हें सुधार कर स्वयं का नाम उमा बाई परते कर रही हूँ अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे परिवर्तित नाम उमा बाई परते से जाना—पहचाना लिखा—पढ़ा व समझा जावे.

(G-584)

प्रार्थीनी
(उमा बाई परते)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि मैं, रितिक सोनकर पिता श्री नीलू सोनकर, निवासी—म.न. 514, भरतीपुर, सार्झ मंदिर के पास, हाईकोर्ट, जबलपुर (म.प्र.) के पहचान—पत्रों में पिता नाम नीलू सोनकर एवं मूल निवासी प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में अनिल सोनकर दर्ज है. मेरे पिता का नाम सुधार कर नीलू सोनकर कर रहा हूँ अतः प्रकाशन उपरांत से मेरे पिता को परिवर्तित नाम नीलू सोनकर से जाना—पहचाना व पढ़ा—लिखा, समझा जावे.

(G-585)

प्रार्थी
(रितिक सोनकर)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रॉयल कृष्ण हॉस्पिटैलिटी जिसका पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0192-18, वर्ष 2018—2019, दिनांक 5 सितम्बर 2018 को पंजीबद्ध है. इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मान सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री एम.सी. राजपूत को मेसर्स रॉयल कृष्ण हॉस्पिटैलिटी, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म में 20 जनवरी 2025 से साझेदार में से हटाया गया है.

मौजूदा साझेदारों का विवरण नीचे दिया गया है:-

1. श्री संजय सक्सेना पुत्र श्री के.सी. सक्सेना, निवासी—33, कोटरा सुल्तानाबाद के पास, सुरुचि नगर, हुजूर, सी.आई.आई. नगर, भोपाल (म.प्र.), पिन कोड—462003.
2. श्रीमती ज्योत्सना सक्सेना पत्नी श्री संजय सक्सेना, निवासी—33, कोटरा सुल्तानाबाद के पास, सुरुचि नगर, हुजूर, सी.आई.आई. नगर, भोपाल (म.प्र.), पिन कोड—462003.
3. श्री शब्दीर अहमद पुत्र श्री हाजी सिद्दीक खान, निवासी—290, अशोक विहार, नगर निगम कॉलोनी, अशोका गार्डन, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).
4. श्रीमती गजाला अहमद पत्नी श्री शब्दीर अहमद, निवासी—290, अशोक विहार, नगर निगम कॉलोनी, अशोका गार्डन, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).
5. श्री भाव सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री एम.सी. राजपूत, निवासी—245, नरेला शंकरी, दुर्गा चौक, अयोध्या बाइपास रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).
6. श्री चतुर्भुज राजपूत पुत्र स्व. श्री एम.सी. राजपूत, निवासी—245, नरेला शंकरी, दुर्गा चौक, अयोध्या बाइपास रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).
7. श्री पूरन सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री एम.सी. राजपूत, निवासी—245, नरेला शंकरी, दुर्गा चौक, अयोध्या बाइपास रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

निवर्तमान साझेदारों का विवरण:-

1. श्री मान सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री एम.सी. राजपूत, निवासी—245, नरेला शंकरी, दुर्गा चौक, आयोध्या बाइपास रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-586)

फर्म— मेसर्स रॉयल कृष्ण हॉस्पिटैलिटी
SANJAY SAXENA
(भागीदार).

CHANGE OF NAME

I, Suman Garg hereby declare that, my maiden name and surname was Susheela Agrawal and somewhere Susheela Kumari Agrawal (Marksheets). But we have changed it from Susheela Agrawal and Susheela Kumari Agrawal to Suman Garg. Henceforth my new name and surname shall be written and read as Suman Garg for all purpose.

Old Name (Susheela Agrawal) (Susheela Kumari Agrawal)	New Name (Suman Garg) Add.- Ward No 4, Dak Bangla Road, Piplia Mandi, Tah.- Malhargarh, Distt. Mandsaur (M.P.).
(G-587)	

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेरणा नेगी (Prerna Negi) पत्नी श्री असीम नेगी (W/o Asim Negi) निवासी— 302, दिलपसंद टॉवर, रेसकोर्स रोड इंदौर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम डॉ. प्रेरणा जैन (Dr. Prerna Jain) पिता श्री कृष्ण गोपाल काकणी (Krishna Gopal Kakani) अंकित है, मेरे अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम प्रेरणा नेगी (Prerna Negi) पत्नी श्री असीम नेगी (W/o Asim Negi) है, मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ। प्रकाशन उपरांत मुझे प्रेरणा नेगी (Prerna Negi) पत्नी श्री असीम नेगी (W/o Asim Negi) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाए।

पुराना नाम (डॉ. प्रेरणा जैन) (Dr. Prerna Jain)	नया नाम (प्रेरणा नेगी) (Prerna Negi)
पिता— श्री कृष्ण गोपाल काकणी (Krishna Gopal Kakani)	पत्नी— श्री असीम नेगी (W/o Asim Negi).
(G-588)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पन्नालाल धाकड़ (Pannalal Dhakad) पुत्र श्री हरप्रसाद धाकड़ (Harprasad Dhakad), निवासी—89, ग्राम सुरेला, तह. उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.) का हूँ। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पन्ना लाल धाकड़ (Panna Lal Dhakad) पुत्र श्री हरप्रसाद धाकड़ (Harprasad Dhakad) अंकित है, किन्तु मेरे अन्य समर्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम पन्नालाल धाकड़ (Pannalal Dhakad) पुत्र श्री हरप्रसाद धाकड़ (Harprasad Dhakad) है। मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ। मेरा यही नाम प्रचलन में है। प्रकाशन उपरांत मुझे पन्नालाल धाकड़ (Pannalal Dhakad) पुत्र श्री हरप्रसाद धाकड़ (Harprasad Dhakad) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाए।

पुराना नाम (पन्ना लाल धाकड़) (Panna Lal Dhakad)	नया नाम (पन्नालाल धाकड़) Pannalal Dhakad
पुत्र—श्री हरप्रसाद धाकड़ (Harprasad Dhakad)	पुत्र—श्री हरप्रसाद धाकड़ (Harprasad Dhakad).
(G-589)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम राहुल बडगुजर (RAHUL BADGUJAR) पिता श्री अनूप सिंह है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंकसूची एवं बैंक पासबुक पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम राहुल (RAHUL) कुछ पर राजेन्द्र (RAJENDRA) पिता श्री अनूप सिंह दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राहुल बडगुजर (RAHUL BADGUJAR) पिता श्री अनूप सिंह के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(राजेन्द्र)
(RAJENDRA)

नया नाम
(राहुल बडगुजर)
(RAHUL BADGUJAR)
पिता— श्री अनूप सिंह
पता— 53, गॉथी नगर, बडा बांगडदा
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-590)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम अशफाक हुसैन (ASHFAQUE HUSSAIN) पिता अकील हुसैन अंसारी है, जो कि मेरी अंकसूची पर दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम अशफाक अंसारी (ASHFAQUE ANSARI) पिता अकील हुसैन अंसारी दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अशफाक हुसैन (ASHFAQUE HUSSAIN) पिता अकील हुसैन अंसारी के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(अशफाक अंसारी)
(ASHFAQUE ANSARI)

नया नाम
(अशफाक हुसैन)
ASHFAQUE HUSSAIN
पिता— अकील हुसैन अंसारी
पता— 39, हिला पैलेस, खजराना
इन्दौर (म.प्र.).

(G-591)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अर्शी खान (ARSHI KHAN) पिता अनवर खान, माता यास्मीन खान था, जो कि मेरे जन्म प्रमाण—पत्र, अंकसूची एवं पूर्व के आधार कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरी माता का मेरे पिता से तलाक होने के पश्चात् मेरी माता द्वारा दुसरा विवाह शोएब अहमद कुरैशी से करने के कारण मेरा नाम अर्शी कुरैशी (ARSHI QURESHI) C/o शोएब अहमद कुरैशी हो गया था जो मेरे आधार कार्ड पर दर्ज हैं, किन्तु मैंने पुनः अपना नाम परिवर्तित कर अर्शी खान (ARSHI KHAN) पिता अनवर खान कर लिया है अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम अर्शी खान (ARSHI KHAN) पिता अनवर खान के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(अर्शी कुरैशी)
(ARSHI QURESHI)

नया नाम
(अर्शी खान)
ARSHI KHAN
पिता—अनवर खान
पता— 142, श्रीराम नगर, हवा बंगला
इन्दौर (म.प्र.).

(G-592)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम दिव्य कुमार (DIVYA KUMAR) पिता श्री रविन्द्र कुमार था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है. किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर दिव्यांश कुमार (DIVYANSH KUMAR) पिता श्री रविन्द्र कुमार कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम दिव्यांश कुमार (DIVYANSH KUMAR) पिता श्री रविन्द्र कुमार के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे एवं दिव्य कुमार के स्थान पर दिव्यांश कुमार लिखा—पढ़ा एवं समझा जावे.

पुराना नाम (दिव्य कुमार) (DIVYA KUMAR) (G-593)	नया नाम (दिव्यांश कुमार) (DIVYANSH KUMAR) पिता—श्री रविन्द्र कुमार, पता—227, ऐ—पल्हर नगर, इन्दौर (म.प्र.). <hr/> नाम परिवर्तन
--	---

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम हर्ष सिन्दल (HARSH SINDAL) पिता—विनोद सिन्दल है. जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम राध्ये (RADHYE) दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्ष सिन्दल (HARSH SINDAL) पिता—विनोद सिन्दल के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (राध्ये) (RADHYE) (G-594)	नया नाम (हर्ष सिन्दल) (HARSH SINDAL) पिता—विनोद सिन्दल, पता—23, रिंजलाय, गांधी नगर, इन्दौर (म.प्र.). <hr/> नाम परिवर्तन
--	---

मैं, SHABBIR QADRI पुत्र BADRE AHSAN, निवासी—32, न्यू मौलाना आजाद कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल का हूँ. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम SYED SHABBIR ASHAN QADRI एवं SHABBIR HASAN दर्ज है. जहां कहीं भी मेरे दोनों नाम SYED SHABBIR ASHAN QADRI एवं SHABBIR HASAN पुत्र BADRE AHSAN, दर्ज है. उसके स्थान पर मेरा नाम SHABBIR QADRI पुत्र BADRE AHSAN पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम (SYED SHABBIR ASHAN QADRI) एवं SHABBIR HASAN) (G-595)	नया नाम (SHABBIR QADRI) पिता—BADRE AHSAN.
--	---

मैं, पिंकी बैग पत्नी फरीद बैग, निवासी—फ्लैट B-9, थर्ड फ्लोर, जिंसी चौराहा, सेंटर प्लाइंट बिल्डिंग, भोपाल. आज सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मुझे अब से मेहरूनिसा बैग के नाम से जाना एवं पहचाना जाएगा, अब से मेरे सभी सरकारी दस्तावेजों, पहचाना—पत्र आदि में मेरा नाम मेहरूनिसा बैग अंकित किया जाए.

पुराना नाम (पिंकी बैग) (G-596)	नया नाम (मेहरूनिसा बैग).
---	------------------------------------

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम मेरी मावी (MARY MAVI) उर्फ मेरी अनुपमा, मेरी रोबिन, पत्नी रोबिन एंथोनी जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में मेरी मावी नाम ही अंकित है. अतः मेरा सही नाम मेरी मावी (MARY MAVI) है. जो कि तीनों नाम एक ही महिला के थे.

पुराना नाम
(मेरी मावी उर्फ मेरी अनुपमा, मेरी राबिन)
(MARY MAVI)

(G-597)

नया नाम
(मेरी मावी)
(MARY MAVI)
पति—रोबिन एंथोनी,
पता—मकान नं. 36, महेश नगर, क्रिश्चन कॉलोनी,
रतलाम (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अलानुर खान (ALANUR KHAN) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरा वास्तविक और सही नाम भूरे खाँ (BHURE KHA) है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम भूरे खाँ (BHURE KHA) के नाम से सभी शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाएँ.

पुराना नाम
(अलानुर खान)
(ALANUR KHAN)

(G-598)

नया नाम
(भूरे खाँ)
(BHURE KHA)
पिता—श्री अब्दुल खाँ,
पता—ग्राम सलैया पोस्ट देवली, पोलायकलां,
शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सल्तान जहाँ (SULTAN JAHAN) गलत अंकित हो गया है. मेरा वास्तविक और सही नाम नूर जहाँ (NOOR JAHAN) हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम नूर जहाँ (NOOR JAHAN) के नाम से सभी शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाएँ.

पुराना नाम
(सल्तान जहाँ)
(SULTAN JAHAN)

(G-599)

नया नाम
(नूर जहाँ)
(NOOR JAHAN)
पति—श्री सईद खान,
पता—1050, बाग फरहत अफजा,
हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम घनश्याम (GHANSHYAM) गलत अंकित हो गया है. मेरा वास्तविक और सही नाम करोड़ी लाल (KARODI LAL) है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम करोड़ी लाल (KARODI LAL) के नाम से सभी शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाएँ.

पुराना नाम
(धनश्याम)
(GHANSHYAM)

(G-600)

नया नाम
(करोड़ी लाल)
(KARODI LAL)
पिता—श्री भवानी सिंह,
पता—बोरिया, खामखेड़ा,
जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रचना सिंह (RACHNA SINGH) था, जो कि मेरे प्रमाण-पत्रों पर अंकित हो गया है, जिसको मैंने परिवर्तित कर रचना दयाल (RACHNA DAYAL) पिता श्री डेनियल दयाल (DANIYAL DAYAL) कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे रचना दयाल (RACHNA DAYAL) पिता श्री डेनियल दयाल (DANIYAL DAYAL) के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(रचना सिंह)

(G-601)

नया नाम
(रचना दयाल)
पिता—श्री डेनियल दयाल,
पता—85, लालाराम नगर, सेंट पॉल स्कूल के पास,
गीताभवन, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया कि मैंने अपना नाम PAPPU KHA से बदलकर नया नाम SHAFIK KHA पुत्र शरीफ खा रख लिया है। मुझे सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे नए नाम SHAFIK KHA के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे एवं एलआईसी की पॉलिसी में भी मेरा नया नाम SHAFIK KHA पुत्र शरीफ खा अंकित किया जावे।

पुराना नाम
(PAPPU KHA)

(G-602)

नया नाम
(SHAFIK KHA)
पिता—शरीफ खा,
पता—ग्राम सिंगोरा तिघरा रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, राम चंद मक्कर पुत्र श्री उधवदास मक्कर, म. नं. 55, गीता कॉलोनी, दाल बाजार, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.). रामचंद मक्करानी पत्नी श्रीमती रेखा मक्करानी के नाम से रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड मुम्बई में मेरे द्वारा शेयर खरीदे गये हैं, और जिसमें मेरी पत्नी शेयर होल्डर है। मेरे शेयर होल्डर सर्टिपिकट में मेरा पूरा नाम गलती से रामचंद मक्करानी (RAMCHNAD MAKKRANI) लिखा गया है। जो कि पूर्णतः गलत लिखा गया है। मेरा सही और वास्तविक पूरा नाम राम चंद मक्कर RAM CHNAD MAKKAR पुत्र श्री उधवदास मक्कर ही है, और भविष्य में भी मुझे इसी नाम से लिखा—पढ़ा, जाना और पहचाना जावें।

पुराना नाम
(रामचंद मक्करानी)
(RAMCHNAD MAKKRANI)

(G-603)

नया नाम
(राम चंद मक्कर)
(RAM CHNAD MAKKAR).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स साईनाथ किसान सेवा केन्द्र पंजीयन क्रमांक 01-01-01- 00550-12 सन् 2011-2012, दिनांक 31 मार्च 2012 भोपाल सम्भाग से पंजीकृत फर्म है। यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 6 सितम्बर 2016 को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म का पूर्व नाम बदलकर नवीन नाम मेसर्स साई सेल्स एण्ड सर्विस किसान सेवा केन्द्र किया गया है तथा संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 16 सितम्बर 2023 को इस भागीदारी फर्म में श्रीमती रंजना महाले पत्नी अरुण कुमार महाले को आपसी सहमति से सम्मिलित किया गया है, और अरुण कुमार महाले जी दिनांक 16 सितम्बर 2023 को इस भागीदारी फर्म से अपनी स्वेच्छा से (पृथक) बाहर हो रहे हैं।

(G-604)

M/s Sai Sales & Service Kisan Sewa Kendra,
चन्द्रकुमार देशमुख,
(भागीदार).

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म GWALIOR LIQOUR ASSOCIATES, पता—B-147, Near J-K- Hospital, Kolar Road, Tah.-Huzur, Dist. Bhopal (M.P.) 462042 है, जिसका पंजीयन क्र. 01-01-01-0395-24 सन् 2023-24, दिनांक 7-2-2024 में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल संभाग (म.प्र.) में पंजीयत है, यह कि दिनांक 11-2-2025 को श्री मुकेश शिवहारे पुत्र श्री ओमप्रकाश शिवहारे, निवासी गोराचिरैया, जालौन, उत्तर प्रदेश एवं श्रीमती खुशबु शिवहारे पत्नि श्री इशान शिवहारे, पता—ई-2/317, नियर ओल्ड कैपियन ग्राउंड, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया एवं इस भागीदारी फर्म में दिनांक 11-2-2024 को श्री इशान शिवहारे पिता श्री हरीश शिवहारे स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गए हैं, फर्म वर्तमान में श्री दीप चंद जैन, श्री जगदीश प्रसाद शिवहारे, श्री कमलेश कुमार, श्री मनिष शिवहारे, श्री पीयूष श्रीवास्तव, श्री रामानुज कुमार सिंह, श्रीमती खुशबु शिवहारे एवं श्री मुकेश शिवहारे भागीदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

M/s GWALIOR LIQOUR ASSOCIATES,

DEEP CHAND JAIN,

(भागीदार)।

(G-605)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजुददी पाल पुत्र आशाराम पाल, निवासी—बरद्वाहा, जिला—छतरपुर (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सोमवती पाल अंकित हो गया है। जबकि उसका सही व वास्तविक नाम अश्वनी पाल है। जो कि उसकी अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम अश्वनी पाल (Ashwani Pal) पुत्री अजुददी पाल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(सोमवती पाल)
(SOMVATI PAL)

(G-606)

नया नाम
(अश्वनी पाल)
(ASHWANI PAL)
पुत्री—अजुददी पाल.

नाम परिवर्तन

मैं, विनिता राठौर पति सुशील राठौर, निवासी—भाटखेड़ी बुजुर्ग, तह. मनासा, जिला नीमच (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि विवाह के पूर्व मेरा नाम विनिता कुमारी साहू था, किन्तु श्री सुशील राठौर के साथ विवाह के पश्चात् मैंने मेरा नाम परिवर्तित कर विनिता राठौर घोषित कर दिया था। मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम विनिता कुमारी साहू दर्ज होने के कारण मैं अपना नाम विनिता राठौर से परिवर्तित कर विनिता कुमारी साहू घोषित करती हूँ। प्रकाशन पश्चात् मुझे विनिता कुमारी साहू के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जावे।

पुराना नाम
(विनिता राठौर)

(G-607)

नया नाम
(विनिता कुमारी साहू)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उमेश कुमार पिता देवकरन परमार, पता—11/26, G-ग्राम पंचायती, जनपद पंचायत, कालापीपल, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरा नाम मेरे शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेजों में उमेश कुमार, उमेश कुमार परमार और उमेश परमार अंकित है तथा ये तानों नाम मेरे ही हैं, प्रकाशन उपरांत मुझे उमेश परमार के नाम से जाना व पहचाना व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(उमेश कुमार)
(G-608)

नया नाम
(उमेश परमार)

नाम परिवर्तन

मैं, जगतसिंह पुत्र श्री धीरेसिंह, निवासी—ग्राम खरी, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश नारायण सिंह नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे मतदाता पहचान—पत्र पर जगतसिंह (JAGATSINGH) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय / व्यवितरण कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम जगतसिंह (JAGATSINGH) पुत्र श्री धीरेसिंह से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

<p>पुराना नाम (नारायण सिंह)</p> <p>(G-609)</p>	<p>नया नाम (जगतसिंह) (JAGATSINGH)</p> <p>पुत्र—श्री धीरेसिंह.</p>
--	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम ध्रुव (DHRUV) पुत्र सुधीर थत्ते (SUDHIR THATTE) था. जो मेरी अंकसूची / आधार कार्ड आदि में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर ध्रुव थत्ते (DHRUV THATTE) पुत्र सुधीर थत्ते (SUDHIR THATTE) कर लिया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम ध्रुव थत्ते (DHRUV THATTE) पुत्र सुधीर थत्ते (SUDHIR THATTE) से ही जाना—पहचाना, लिखा व पढ़ा जावे.

<p>(G-610)</p>	<p>आवेदक, (ध्रुव)</p> <p>पुत्र—सुधीर थत्ते, पता—बतासे वाली गली, छत्री बाजार, लश्कर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).</p>
----------------	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी पुत्री का नाम परीधी पुत्री नरेन्द्र सिंह (PARIDHI D/o NARENDRA SINGH) था. जो उसकी अंकसूची / आधार कार्ड आदि में दर्ज है. अब मैंने अपनी उक्त पुत्री का नाम परिवर्तित कर संजना तंवर पुत्री नरेन्द्र सिंह (SANJANA TANWAR D/o NARENDRA SINGH) कर लिया है. अतः अब भविष्य में मेरी उक्त पुत्री को उसके परिवर्तित नाम संजना तंवर पुत्री नरेन्द्र सिंह (SANJANA TANWAR D/o NARENDRA SINGH) से ही जाना—पहचाना, लिखा व पढ़ा जावे.

<p>पुराना नाम (परीधी)</p> <p>(PARIDHI)</p> <p>(G-611)</p>	<p>नया नाम (संजना तंवर)</p> <p>(SANJANA TANWAR)</p> <p>पुत्री—नरेन्द्र सिंह</p> <p>(D/o NARENDRA SINGH).</p>
---	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम मोहम्मद आजाद खान पुत्र मशीतुल्ला खान था, आज दिनांक से मेरे सभी सरकारी दस्तावेजों में मुझे मोहम्मद आजाद राजपूत की जगह मोहम्मद इरशाद खान के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

<p>(G-612)</p>	<p>प्रार्थी (मोहम्मद इरशाद खान).</p>
----------------	--

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व रजिस्टार, पब्लिक ट्रस्ट परगना,
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश**

(फार्म 4)

[नियम (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.-0001-2024-25बी-113.— जैसा कि दीपक सिंह कुशवाह पुत्र श्री प्रीतम सिंह आदि निवासी—ग्राम कमई का पुरा, तहसील भिण्ड द्वारा पब्लिक ट्रस्ट जीवन ज्योति संजीवनी पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, मुडिया खेड़ा, तहसील भिण्ड का गठन किए जाने हेतु आवेदन मय सहपत्रों के पेश किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2024 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपयुक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

"अनुसूची"

- | | |
|------------------|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | — जीवन ज्योति संजीवनी पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, |
| 2. पता | — मुडिया खेड़ा, तहसील भिण्ड। |

(G-613)

अखिलेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बदनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश
(फार्म 3)

[नियम 4(2) देखिए]

बदनावर, दिनांक 22 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1950 (तीस 1951) की धारा 4 के तहत न्यास पंजीयन बनावर]

क्र.-121—रीडर-1-2025.— चूंकि ट्रस्ट “ श्री माली समाज ट्रस्ट क्षेत्र बदनावर ” में इस नोट्स के शेड्युल के दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है, याद रखे ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 24 फरवरी 2025 को किया जावेगा।

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के करोबार में दिलचस्पी रखते हों, और जिसका उक्त बाबद कोई विरोध करने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीर करें, और मेरे समक्ष दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के बाद प्राप्त हुई आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी। आज दिनांक 22 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी :—

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | |
|---------------------|--|
| 1. लोक न्यास का नाम | — श्री माली समाज ट्रस्ट क्षेत्र कोद |
| 2. लोक न्यास का पता | — ग्राम कोद तहसील बदनावर, जिला धार |
| 3. चल सम्पत्ति | — निरंक |
| 4. अचल सम्पत्ति | — माली समाज की एक धर्मशाला ग्राम कोद तहसील बदनावर जिला—धार में स्थित है। |

(G-614)

दीपक चौहान, अनुविभागीय अधिकारी।

**न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, उपखण्ड— बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर,
मध्यप्रदेश**

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी 2025

(नियम पाँच-1 देखिए)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

प्र.क्र.—252—बी—113—2024—25.— एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक/अध्यक्ष नाथ जोगी समाज ट्रस्ट अम्बेडकर वार्ड महाजनापेठ शहर तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष नीलकंठ रघुनाथ जाधव, निवासी—मालीवाडा हनुमान साईजींग के पीछे, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा एक आवेदन—पत्र पेश कर नाथ जोगी समाज ट्रस्ट मालीवाडा हनुमान साईजींग के पीछे, तहसील व जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया। एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन—पत्र दिनांक 11 मार्च 2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है। किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और उपरोक्त अवधि में मेरे समक्ष या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार में नहीं लिया जावेगा:—

“अनुसूची”

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

- | | |
|---------------------|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | — नाथ जोगी समाज ट्रस्ट |
| 2. लोक न्यास का पता | — मालीवाडा, हनुमान साईजींग के पीछे शहर तहसील व जिला बुरहानपुर |
| 3. चल सम्पत्ति | — 5,000/- |
| 4. अचल सम्पत्ति | — निरंक |

(G-615)

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), क्षेत्र सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.—0003—बी—113(1)—2024—25.— एतद्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है, कि आवेदक राधेश्याम पिता शंकरलाल राठौर, जाति तेली अन्य 01 निवासी—राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार द्वारा “श्री संकल पंच राठौर समाज ट्रस्ट राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार” के नाम से लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4(1) नियम 3 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है। उक्त के संबंध में प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में विधिवत् पंजीबद्ध किया जाकर सुनवाई की जा रही है।

अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास ट्रस्ट अधिनियम, 1951 अधिनियम के अन्तर्गत में उल्लेख प्रावधान अनुसार उक्त के सम्बंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो, वह व्यक्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के विज्ञाप्ति प्रसारण के 30 दिवस के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। यह विज्ञाप्ति आज दिनांक 20 फरवरी 2025 को मेरे न्यायालय तथा हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई।

(G-616)

आशा परमार, अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट,
अनुभाग अटेर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश**

अटेर, दिनांक 20 जनवरी 2025

फार्म-4

[नियम (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1962 का नियम 5(1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.-0001-बी-113(1)-2023-24-100.— आवेदक श्री विमल कुमार पुत्र गलीचन्द जैन, पता—पुरानी गल्ला मण्डी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश द्वारा पंच परमेष्ठी धाम श्री 1008 नेमिनाथ स्वामी तीर्थ धाम दिगम्बर जैन पंचायती अति प्राचीन मंदिर ग्राम रिदौली तहसील अटेर जिला भिण्ड मध्यप्रदेश के मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास के तहत विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। मेरे न्यायालय में दिनांक 10 मार्च 2025 को विचार में लिया जावेगा। अतः, मैं, अंकुर रवि गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग अटेर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 मार्च 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा आपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि उक्त न्यास संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है। और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियां को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा:—

“अनुसूची”

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता)

- | | |
|---------------------|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | — पंच परमेष्ठी धाम श्री 1008 नेमिनाथ स्वामी तीर्थ धाम दिगम्बर जैन पंचायती |
| 2. लोक न्यास का पता | — अतिप्राचीन मंदिर ग्राम रिदौली, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश |
| 3. चल सम्पत्ति | — 1,51,400/- (अनुमानित कीमत) |

आज दिनांक 20 जनवरी 2025 को मेरे पद मुद्र से विज्ञप्ति जारी की गई है।

(G-617)

अंकुर रवि गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल, मध्यप्रदेश**

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.-005-बी-113-2023-24.— जैसा कि “ सकल ग्रामवासी ग्राम जमुनिया कलॉ मंदिर ट्रस्ट” द्वारा श्री देव करन विश्वकर्मा निवासी ग्राम जमुनिया कलॉ, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 18 फरवरी 2025 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “एक माह” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

“अनुसूची”

- | | |
|------------------------|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम व पता | — “सकल ग्रामवासी ग्राम जमुनिया कलौ मंदिर ट्रस्ट” द्वारा श्री देव करन विश्वकर्मा निवासी— ग्राम जमुनिया कलौ, तहसील हुजूर, जिला भोपाल |
| 2. चल सम्पत्ति | — 11000/- |
| 3. चल सम्पत्ति | — निरंक |

आज दिनांक—2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(G-618)

विनोद सोनकिया, अनुविभागीय अधिकारी

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 28 जनवरी 2025

(कारण बताओ सूचना—पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1990 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—114.— मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा की प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक—शिकायत—2025—08, विदिशा, दिनांक 3 जनवरी 2025 से संस्था को समक्ष में उपस्थित होकर संस्था का रिकार्ड एवं कथन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। संस्था का रिकार्ड एवं संस्था अध्यक्ष के कथन अनुसार संस्था 4 वर्षों से अपने उद्देश्य अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। संस्था द्वारा वर्ष 2023—24 का अंकेक्षण नहीं कराया गया है। संस्था ने वर्ष 2024 की वार्षिक आमसभा का भी आयोजन नहीं किया है एवं विगत 3 वर्षों की वार्षिक आमसभा का कार्यवाही विवरण एवं सूचना पत्र इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किए हैं। संस्था द्वारा संचालक मंडल की बैठकें विधिवत आयोजित नहीं की जा रही हैं। संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों का अंकेक्षण कराया गया है, जिसमें नाम मात्र का कार्य दर्शाया गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—56, विदिशा दिनांक 16 जनवरी 2025 से संस्था का कार्य क्षेत्र मत्स्य नीति 2008 अनुसार निर्धारित करने हेतु पत्र जारी किया गया है जिसका उत्तर कार्यालय को आज दिनांक तक अप्राप्त है। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बन्द कर दिया है एवं पंजीयक द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49(1) का पालन संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त कारणों से सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 69(2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ.—5—1—99—एक—पन्द्रह—1—सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, पी.एस. बारोटिया, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा पंजीयन क्रमांक—ए.आर.—व्ही.डी.एस.—130, दिनांक 21 मार्च 1967 को यह कारण बताओ सूचना—पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

इस कारण बताओ सूचना—पत्र की प्राप्ति के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है, अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना—पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 28 जनवरी 2025 को जारी करता हूँ।

(G-619)

पी.एस. बारोटिया, प्रभारी उप पंजीयक।

कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 13 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1990 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—1817.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2021—781, दिनांक 4 अगस्त 2021 के द्वारा मातेश्वरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता मर्यादित, खरगोन, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1617, दिनांक 11 अगस्त 2011 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज शेळके वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण—पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ—5—1—99—पन्द्रह—1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, मातेश्वरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता मर्यादित, खरगोन, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 1617, दिनांक 11 अगस्त 2011 है। जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(G-620)

अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार।

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 14 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1990 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—102.— मौ वैष्णवी ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पिपरिया चउदा, वि.ख. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1308, दिनांक 9 जून 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः—

1. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।
2. सोसायटी के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 23 फरवरी 2024 को समाप्त हो गया है, किन्तु सोसायटी द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उपर्युक्त कारण के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.-5-1-99-पन्द्रह 1 सी., भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश, भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मॉ वैष्णवी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या. पिपरिया चउदा, वि.ख. शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना—पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना—पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 14 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-621)

नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 27 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—Q.— कार्यालय उप—पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया है—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पदमश्री गृह निर्माण सह.संस्था मर्या., इन्दौर	561 / 27-4-2024	2467 / 27-6-2024
2.	समर्थ सहकारी गृह निर्माण सह.संस्था. मर्या., इन्दौर	537 / 12-4-1989	2464 / 27-6-2024
3.	डिफिन्स पर्सनल गृह निर्माण सह.संस्था मर्या., इन्दौर	531 / 22-7-1989	2463 / 27-6-2024
4.	प्रिया गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	517 / 28-2-1989	2460 / 27-6-2024
5.	निधि गृह निर्माण सह.संस्था मर्या., इन्दौर	527 / 5-6-1989	2461 / 27-6-2024
6.	पवित्र हृदय गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	539 / 4-1-1991	2465 / 27-6-2024
7.	गुरु गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	528 / 5-6-1989	2462 / 27-6-2024
8.	किरण को ऑप सोसायटी गृह निर्माण, इन्दौर	894 / 31-4-2007	4054 / 29-8-1017
9.	आदर्श गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	371 / 16-7-1989	143 / 25-12-1953
10.	आशुतोष गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	317 / 16-7-1984	2468 / 27-6-2024

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एदतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावे। तदानुसार समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावे।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-622)

राजेश मालवीय, उप अंकेक्षण।

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-Q.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन का आदेश
		क्रमांक एवं दिनांक	क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वेलविशर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	136 / 5-9-2013	2159 / 31-3-2023
2.	विक्रन्त साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	179 / 5-9-2013	2163 / 31-3-2023
3.	विभा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	217 / 5-9-2013	2162 / 31-3-2023
4.	यूपी मर्केटाईल सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2651 / 7-3-2014	2160 / 31-3-2023
5.	युवा मित्र मण्डल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	921 / 26-3-1990	2158 / 31-3-2023
6.	यादवेन्द्र साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1137 / 24-4-1992	2155 / 31-3-2023
7.	युवा जागृति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	912 / 20-9-1989	2155 / 31-3-2023
8.	युथा शिक्षित बेरोजगार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	569 / 20-9-1989	2161 / 31-3-2023
		इन्दौर.	
9.	अहोरवा भवानी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2096 / 20-8-2002	2165 / 31-3-2023
10.	कृश्वा देवी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2829 / 4-4-2016	2164 / 31-3-2023
11.	युगान्तर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1135 / 24-3-1992	2156 / 31-3-2023
12.	यग देहलवी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2431 / 1-1-2010	2157 / 31-3-2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एदत्तद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना पत्र आज दिनांक..... मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-623)

राजेश मालवीय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षण।

इन्दौर, दिनांक 2 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन का आदेश
		क्रमांक एवं दिनांक	क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	परशुराम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	138 / 5-9-2013	222 / 23-1-2025

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	महाराष्ट्र समाज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	31 / 5-9-2013	2187 / 31-3-2023
3.	मॉ केलेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	145 / 5-9-2013	2208 / 31-3-2023
4.	महारानी लक्ष्मीबाई साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	637 / 1-3-1982	2189 / 31-3-2023
5.	इन्दौर विश्वकर्मा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1937 / 24-2-1999	2205 / 31-3-2023
6.	श्री मेवाड़ा कुमावत साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2182.....	2188 / 31-3-2023
7.	श्री संत गाडगे बुन्देला रजक समाज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2446 / 26-4-2010	2193 / 31-3-2023
8.	सर्वरजक हितकारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2584 / 4-4-2013	2194 / 31-3-2023
9.	मालवा मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2594 / 20-6-2013	2186 / 31-3-2023
10.	मॉ हरसिंहि क्रेडिट साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2712 / 14-7-2014	2190 / 31-3-2023
11.	श्री सांवरिया साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2766 / 4-1-1992	2209 / 31-3-2023
12.	विजेश्वरी श्री साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2828 / 4-4-2016	2206 / 31-3-2023
13.	सुलभ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2049 / 13-8-2014	2192 / 31-3-2023
14.	विकास बैंक कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर	916 / 9-5-2001	2207 / 31-3-2023
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जम्बूर्डी सरवर तह. सांवेर.	782 / 20-9-1984	1858 / 31-3-2023
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दयाखेड़ा, इन्दौर.	1111 / 21-10-1991	1855 / 31-3-2023
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला जेतकरण, तह. इन्दौर.	2733 / 10-10-2014	1856 / 31-3-2023
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धान्या, देपालपुर.	2504 / 18-5-2011	1854 / 31-3-2023
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देपालपुर.	2387 / 8-10-2008	1857 / 31-3-2023
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खड़ी बी, तह. देपालपुर.	2341 / 24-8-2007	1852 / 31-3-2023
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धन्ड़.	559 / 5-6-1980	1853 / 31-3-2023
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धर्माट.	653 / 1-10-1999	1859 / 31-3-2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र से परिसमापक को दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों को अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 2 जनवरी 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-624)

आर. एस. जायसवाल, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

**कार्यालय, परिसमापक, गरीब नवाज एवं हरिजन कर्मचारी गृह सहकारी संस्था मर्या.,
इन्दौर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश**

इन्दौर, दिनांक 24 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—क्यू.01.—परि. गरीब नवाज एवं हरिजनों कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 341, दिनांक 23 फरवरी 1983 है को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक—परिसमापन—2024—2428 इन्दौर दिनांक 27 जून 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि व संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 24 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-625)

**कार्यालय, परिसमापक, अनु. हरिजन गृह सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर,
जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश**

इन्दौर, दिनांक 24 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—क्यू.01.—परि. अनुसूचित हरिजन श्रमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 215, दिनांक 4 जुलाई 1978 है को उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक—परिसमापन—2024—2430 इन्दौर दिनांक 27 जून 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 24 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-626)

सविता भायरे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक, वर्धमान नगर आवास गृह सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 24 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू.01.— परि. वर्धमान नगर आवास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 208, दिनांक 2 जनवरी 1978 है को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के संशोधित आदेश क्रमांक—परिसमापन—2024-2429 इन्दौर, दिनांक 27 जून 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत: परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के संमस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 24 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-627)

सविता भायरे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 2 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू.02.— कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापन का संशो. आदेश क्रमांक एवं दिनांक (4)
1.	आदर्श चावल दाल सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर	109 / 29-1-1956	1803 / 3-6-2024
2.	ठेलीग्राम ट्राफिक एवं ई.ए. सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर	169 / 7-4-1968	1802 / 3-6-2024
3.	शक्कर गुड खाण्डसारी सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर (राऊ).	866 / 19-3-1959	1801 / 3-6-2024
4.	रोलिंग मजदूर कामगार तथा कारीगरों सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर.	694 / 7-2-1995	1800 / 3-6-2024
5.	हिन्दुस्तान जाली फाटक सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर	324 / 30-8-1968	1799 / 3-6-2024
6.	मालवी कामगार सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर	146 / 16-1-1962	1798 / 3-6-2024
7.	झाडू-माचिस सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर	115 / 15-7-1973	1797 / 3-6-2024
8.	उन्नत कुंभकार्य सहकारी संस्था मर्या. सिरपुर	143 / 23-11-1961	2067 / 14-6-2024

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	ग्राम विकास औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. रंगवासा.	92 / 1-10-1960	2066 / 14-6-2024
10.	मेरसर्स एग्रो एम्लाईज को—ऑप. सोसायटी लि., इन्दौर.	— / —	2065 / 14-6-2024
11.	डायमण्ड श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर	1128 / 4-1-1992	2064 / 14-6-2024
12.	अरुणोदय श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1068 / 27-1-1991	2063 / 14-6-2024

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी / ग) के अन्तर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारण यहां किसी भी लाभ के बढ़वारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी / आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 2 जनवरी 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

विजय दिशोरिया, परिसमापक एवं उप अंकेक्षण।

(G-628)

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारिता, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 21 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—61.—इस कार्यालय के आदेश क्र.—परि.—2022—62, दिनांक 14 जनवरी 2022 के द्वारा रेत खदान मजदूर सहकारी संस्था मर्यादित राजावाट, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 445, दिनांक 18 अक्टूबर 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमति संगिता चौहान, उप अंकेक्षण को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षण निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, गोरखन लाल सौलकी, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-629)

गोरखन लाल सौलकी, उप रजिस्ट्रार।

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 9 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू.02.— कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समृद्धि सामुदायिक साख सहकारी संस्था मर्या. थोड़सिंधी.	82 / 12-7-2017	576 / 17-7-2023
2.	मालगढ़ महिला साख सहकारी संस्था मर्या. मालवई.	38 / 8-7-2014	969 / 18-12-2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 9 जनवरी 2025 को मेरे द्वारा पुनः जारी किया गया है।

(G-630)

नेहा रायकवार, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

अलीराजपुर, दिनांक 9 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू.02.— कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धनलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., नानपुर	71 / 7-9-2016	577 / 17-7-2023
2.	श्री साख सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर	53 / 7-8-2014	572 / 17-7-2023
3.	तिरुपती साख सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर	75 / 4-3-2017	573 / 17-7-2023
4.	विनायक साख सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर	16 / 24-4-2019	567 / 17-7-2023
5.	अलमसुर साख सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर	472 / 3-10-2018	579 / 17-7-2023
6.	सांवरिया सेठ सहकारी समिति मर्या., अलीराजपुर	478 / 11-9-2019	569 / 17-7-2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी / ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी / आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 9 जनवरी 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

संगीता चौहान, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

(G-631)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारिता, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—901.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परि.—2022—62, दिनांक 14 जनवरी 2022 के द्वारा अजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चंद्रशेखर आजाद नगर, तहसील चंद्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 21 दिसम्बर 2010 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री अमित सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षण निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, गोरखन लाल सोंलकी, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-632)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2025—902.— इस कार्यालय के आदेश क्र.—परि.—2022—62, दिनांक 14 जनवरी 2022 के द्वारा आजाद महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, चंद्रशेखर आजाद नगर तहसील चंद्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 8 जुलाई 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री अमित सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षण निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, गोरथन लाल सोंलकी, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रं.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-633)

अलीराजपुर, दिनांक 13 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-41.- इस कार्यालय के आदेश क्रं.-परि.-2022-62, दिनांक 14 जनवरी 2022 के द्वारा गांधी महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, धनपुर, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 8 जुलाई 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमति नेहा रायकवार, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमाप्क नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षण निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, गोरथन लाल सोंलकी, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रं.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-634)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-42.- इस कार्यालय के आदेश क्रं.-परि.-2022-62, दिनांक 14 जनवरी 2022 के द्वारा आदर्श आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धामन्दा, तहसील उदयगढ़ जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 8 जुलाई 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राहुल चौहान, उप अंकेक्षण को संस्था का परिसमाप्क नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षण निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, गोरथन लाल सोंलकी, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रं.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-635)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-46.— इस कार्यालय के आदेश क्रं.-परि.-2022-62, दिनांक 14 जनवरी 2022 के द्वारा सरस्वती महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित जवानिया, तहसील जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 8 जुलाई 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती नेहा रायकवार, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षण निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, गोरखन लाल सोंलकी, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रं.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पारेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(G-636)

दिनांक 14 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-50.— इस कार्यालय के आदेश क्रं.-परि.-2022-62, दिनांक 14 जनवरी 2022 के द्वारा जय श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित च.शे.आ. नगर, तहसील भाभरा, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 60, दिनांक 28 दिसम्बर 2015 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा कर धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय सोंलकी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षण निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, गोरखन लाल सोंलकी, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रं.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पारेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-637)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-51.— इस कार्यालय के आदेश क्रं.-परि.-2022-62, दिनांक 14 जनवरी 2022 के द्वारा प्रगतिशील महिला सहकारी संस्था मर्यादित कालियावाव, तहसील भाभरा, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 8 जुलाई 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय सोंलकी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षण निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, गोरखन लाल सोलकी, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

गोरखन लाल सोलकी, उप रजिस्ट्रार

(G-638)

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएँ जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 23 जुलाई 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 सी के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू- उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :—

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., रामनगर	भैरुंदा	1258 / 21-7-2023	786 / 26-8-2016
2.	कृषि मित्र बीज उत्पा. विप. सह. समिति मर्या., बांसापुरा.	बुदनी	1377 / 29-6-2007	786 / 26-8-2016
3.	मां नर्मदा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बुदनी जहानपुर.		1817 / 10-4-2015	786 / 26-8-2016

अतः, मैं, जतिन गाचले, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-639)

जतिन गाचले, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत]

क्र.-विधि-परि.-2024-1171.— यह कि निम्नलिखित सहकारी समितियों के विगत कई वर्षों से लगातार अकार्यशील होने से, संस्था को चालू करने हेतु सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जाने से, अंकेक्षकों द्वारा संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जाने से तथा संस्था के प्रशासकों द्वारा सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्थाओं के अध्यक्षों, पदाधिकारियों, संचालक मण्डल को प्रशासक के माध्यम से इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयीन कारण बताओ सूचना—पत्र क्रमांक—परिसमापन—2024-701, दिनांक 22 जुलाई 2024 के द्वारा सूचित किया गया था किंतु किसी भी संस्था अध्यक्ष/पदाधिकारी/सदस्य द्वारा अपना अभ्यावेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस हेतु संस्थाओं को कारण बताओ सूचना—पत्र में उल्लेखित निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है:—

1. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं किया अथवा कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं पंजीकृत उपविधियों के अधीन निर्धारित नियमों, उद्देश्यों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था सदस्यों द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने हेतु रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः, मैं, आर.एस. कलेश, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्ह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाती हूं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के समक्ष उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूँ:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम व पद	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एकता वाल्मीकी सफाई कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा.	1833 / 10-8-2001	श्री गोविंद प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक.	
2.	हरिहर बारदाना सहकारी समिति मर्यादित, रुधी.	104871 / 19-7-2001	श्री गोविंद प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक.	
3.	निमाड़ क्रय विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा.	1749 / 7-2-2000	श्री गोविंद प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक.	
4.	जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी साख सह. समिति मर्यादित, खण्डवा.	1234 / 11-3-1981	श्री गोविंद प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक.	
5.	जय बिजासन विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, अंधारवाड़ी.	2172 / 31-3-2022	श्री अनिल कनोजिया, उप अंकेक्षक.	
6.	मां सातमाता बाघेश्वरी मत्स्योद्योग सह. समिति मर्यादित, पिपरहट्टी.	2220 / 20-3-2012	श्री अनिल कनोजिया, उप अंकेक्षक.	
7.	विजय बीज उत्पादक एवं कृषि आदान क्रय—विक्रय सह. समिति मर्यादित, बरुडमाल.	2257 / 6-3-2014	श्री राधामोहन बिश्नोई, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, निशानिया.	2168 / 5-12-2017	श्री राधामोहन बिश्नोई, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	
9.	मातुश्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, किल्लोद.	2349 / 10-2-2015	श्री आर.एम. बिश्नोई, सहकारी निरीक्षक.	
10.	किसान मित्र बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, झूमरखली.	2345 / 10-2-2015	श्री आर.एम. बिश्नोई, सहकारी निरीक्षक.	
11.	नमामी देवी नर्मदा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, देवलदी.	2377 /	श्री राधामोहन बिश्नोई,, सहकारी निरीक्षक.	
12.	श्रीकृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, झूमरखली.	110040 / 31-1-2022	श्री आर.एम. बिश्नोई, सहकारी निरीक्षक.	
13.	जय मां नर्मदा अ.जा. विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, ईमलानी.	2159 / 3-3-2011	श्री राधामोहन बिश्नोई, सहकारी निरीक्षक.	

यह आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रितुसिंह कलेश, सहायक पंजीयक.

(G-640)

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2021.— उप—सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापन क्रमांक व दिनांक (4)
1.	सपना स्वयं सहायता समूह महिला सहकारी संस्था मर्यादित, देवास.	JR/UJN / 1 / 9-10-2009	74 / 14-1-2021
2.	स्टील ट्यूब साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास	329 / 30-1-1980	1134 / 27-7-2020
3.	श्री साई विनायक साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास.	15 / 11-7-2012	1074 / 23-9-2017

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना—पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएँ, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण / दावेदारगण / सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा—पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उंक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज़ दिनांक 23 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।
(G-641)

विनोद सरयाम, परिसमापक एवं चरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्र.—आब.—बकाया—2022—4313.—सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि धार जिले के आबकारी बकायादारों से मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत वर्ष 2020—21 में देशी/विदेशी मंदिरा एकल समूह गंधवानी के पुनर्निष्पादन से शासन को हुई राजस्व हानि/खिसारे की राशि रुपए 8,31,01,611/- एवं देशी/विदेशी मंदिरा एकल समूह बदनावर के पुनर्निष्पादन से शासन को हुई राजस्व हानि/खिसारे की राशि रुपए 1,27,14,,665/- इस प्रकार कुल राशि रुपये 9,58,16,276/- अवशेष बकाया राजस्व की वसूली की जाना है। इस बावत् बकायादार श्री राजेश पिता रघुवीर शरण साहू निवासी—चिरगांव, झांसी (उ.प्र.) की चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त की जाना है, जिससे संबंधित बकायादार से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा सके। इस संबंध में सर्वसाधारण को श्री राजेश पिता रघुवीर शरण साहू की चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी मालूमात हो तो आबकारी विभाग, जिला धार को सूचित करने का कष्ट करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाकर उचित ईनाम दिया जायेगा।



बकायादार राजेश पिता रघुवीर शरण साहू
निवासी—चिरगांव, झांसी (उ.प्र.).

(G-642)

विक्रमदीप सांगर, सहायक आबकारी आयुक्त.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025—माघ 25, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कुछ नहीं